

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 14 जुलाई, 2006

(जुलाई 2006 के 11वें दिन पारित)

सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी.—इस प्राधिकरण ने, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन के विषय से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी में 11 मई, 2006 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश तथा दरमान (संशोधित), राजपत्र सं. 99 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4) में 13 जून, 2006 को अधिसूचित किये गये थे।

2. यह देखा गया है कि दिनांक 13 जून, 2006 को अधिसूचित समेकित दरमान में कुछ त्रुटियां छूट गई हैं। दरमान में किये जाने वाले सुधार निम्नलिखित हैं :-

- (i) दरमान के अंग्रेजी पाठ के अध्याय-III पोतघाट भाड़ा प्रभागों की अनुसूची के तहत अनुसूची 3.2 बल्क कार्गो में क्रमांक 20 को निम्न प्रकार से अंतःस्थापित करना है:-

क्रमांक	कार्गो	यूनिट	दर रुपयों में	
			विदेशगामी	तटीय
20	ऊपर विनिर्दिष्ट कार्गो से इतर असूचीबद्ध सामान	मी.ट	65	39"

- (ii) अध्याय-VIII पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन विंग के लिए प्रभार लगाना-के तहत, अतिरिक्त विशेष लेवी से संबंधित अनुसूची को निर्मांकित रूप से पढ़ा जाना चाहिए :-

“8.2 अतिरिक्त विशेष लेवी

क्रमांक	विवरण	लेवी की प्रतिशतता
1.	8 या अधिक हैच वर्कर्स वाले सभी गैंग और कार्गो उतारने/चढ़ाने के लिए तदनुरूप तटीय गैंग	20%
2.	8 से कम हैच वर्कर्स वाले अन्य सभी गैंग और इनके तदनुरूप तटीय गैंग	25%
3.	पत्तन में सभी अन्य कार्गो प्रहस्तन प्रचालन जैसे पारगमन शौड, स्टेक यार्ड, ओपन यार्ड से उतराई आदि	25%"

अ. ल. बाँगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन III/IV/143/06/असा.]